Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

निर्माण कार्यों के लिए एनओसी जरूरीः विधायक

निरीक्षण

नोटिस के जवाब करने होंगे शपथ पत्र में दाखिल

■ सैन्य प्रशासन एवं प्रशासन के अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण

संवाददाता

देहरादून। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने हरियावाला खुर्द जैंतनवाला, घंघोड़ा एवं पुरोहितवाला में भूमि विवाद की समस्या के समाधान के लिए सैन्य प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य किये जाने पर सैन्य प्रशासन द्वारा भेजे गये नोटिसों की आपत्ति दर्ज की गयी जबकि राजस्व एवं सैन्य भूमि से सम्बन्धित को कोई भी आपत्ति नहीं मिली। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने बताया कि सैन्य प्रशासन द्वारा जैंतनवाला में कई लोगों को नोटिस दिये जा रहे हैं जबकि सभी लोग पिछले कई वर्षो से निवास कर रहे हैं। सेना द्वारा निर्माण कार्य में लगातार आपत्ति लगायी जाती है जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विधायक जोशी ने आमबाग एवं पुरोहितवाला के ग्राउंड में विवाह समारोह के लिए अनुमति दिये जाने के लिए भी सैन्य प्रशासन को कहा। सब एरिया गैस सर्विस की गाड़ी को जैंतनवाला तक भेजे जाने के लिए भी अधिकारियों को कहा।

सैन्य प्रशासन एवं जिला प्रशासन के साथ भूमि सम्बन्धी विवाद का निरीक्षण करते मसूरी विधायक गणेश जोशी।

उत्तराखण्ड सब एरिया के स्टेशन हैडक्वाटर बिग्रेडियर पीएस बैंस ने कहा कि 10 मीटर के अन्दर निर्माण के लिए एनओसी जरुरी है लेकिन सैन्य प्रशासन एनओसी देने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जनता को हर प्रकार से सहयोग किया जाऐगा। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है वह शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करें। बिग्रेडियर बैंस ने बताया कि पुरोहितवाला में निजी भूमि में निर्माण कार्य के लिए भी एनओसी लेनी होगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल, तहसीलदार दयाराम, राज्यमंत्री टीडी भूटिया, विधायक प्रतिनिधि नैन सिंह पंवार, कैप्टन हिमांशु ठाकुर, ग्राम प्रधान पुरोहितवाला मीनू क्षेत्री, ग्राम प्रधान घंघोड़ा दुर्गा राय, ग्राम प्रधान जैंतनवाला सागर सिंह सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

न्यूज डायरी

लूट करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, एक फरार

संवाददाता हरिद्वार। वादी जितेंद्र सिंह नेगी पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह नेगी निवासी गोहरी माफी थाना रायवाला द्वारा कोतवाली नगर हरिद्वार आकर सूचना दी गई कि 3/4–7–2020 की रात्रि को वह एक वाहन खरीदने हेतु अपने घर से एडवांस रुपए लेकर गुजरात जा रहा था। बस अड्डा हरिद्वार पर उसे तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ऑटो में बिठाकर गणेश घाट निकट डाम कोठी के समक्ष उसकी जेब में रखें 40000 व मोबाइल फोन छीन लिया। जिसके आधार पर कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 384ध2020 धारा 392 भा द वि पंजीकृत किया गया व सूचना उच्चाधिकारी गणों को दी गई। सीओ सदर पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि सूचना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन कर घटना का खुलासा करने हेतु प्रयास किए गए।

राज्यकर्मियों के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों का भी हो संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी

संवाददाता विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को हर साल संपत्ति का ब्यौरा देने संबंधी निर्देश दिए जाने की बात कही गई है तथा ऐसा न करने वालों के खिलाफ जांच की बात भी कही गई है, जो कि निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है, लेकिन, इन राज्यकर्मियों के साथ–साथ प्रदेश के जनप्रतिनिधियों यथा जिला पंचायतध क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान आदि जनप्रतिनिधियों को भी इस कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। विधायकों आदि के मामले में पूर्व से ही व्यवस्था लागू है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है।

कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए विकसित किया एडवांस डिफॉगिंग सिस्टम

संवाददाता रुड़की। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बेहतर ड्राइविंग अनुभव और लो विजिबिलिटी सिनेरियो में दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए एक कुशल आर्किटेक्चर और एल्गोरिथम विकसित किया है। यह शोध इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर आईईईई ट्रैन्जैक्शन्ज में प्रकाशित हुआ है। कोहरे की उपस्थिति दृश्यता दूरी को तेजी से कम करती है और इस प्रकार यह ड्राइविंग के लिए सबसे खतरनाक स्थितियां बन जाती है। चालक कोहरे की स्थिति में यात्रा करते समय दृश्यता की दूरी को पार कर जाते हैं और अत्यधिक गति के साथ ड्राइव करते हैं। इसलिए, हर साल सैकड़ों वाहन दुर्घटनाएं होती हैं जो हजारों जीवन को खत्म कर देती है।

सतपाल महाराज ने जिला खनिज न्यास फांउडेशन ट्रस्ट की ली बैठक

संवाददाता हरिद्वार। प्रभारी मंत्री जनपद हरिद्वार सतपाल महाराज ने कलेक्लट्रेट सभागार में जिला खनिज न्यास फांउडेशन ट्रस्ट की बैठक ली। बैठक में ट्रस्ट सदस्य विधायक ममता राकेश तथा विधायक सुरेश राठौर उपस्थित हुए। बैठक में जिलाधिकारी हरिद्वार सी.रविशंकर की उपिस्थति में जिला मजिस्ट्रेट के निवर्तन में आयी धनराशि को कोविड 19 महामारी के दौरान जनपद हरिद्वार में सुरक्षा तथा बचाव उपायों में प्रयोग कर लिये जाने की बात पर सहमति बनी। अभी तक जिलाधिकारी के निवर्तन में संकलित हुए खनिज कर की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत हिस्सा जिले में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय तथा चिकित्सकीय व्यवस्थाओं बढ़ाने पर खर्च किया जायेगा। कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए आवश्यक उपकरण क्रय किये जाने की भी बात कही। जिनमें मेला चिकित्सालय, कोविड चिकित्सालय आदि के लिए ऑक्सीजन सैपरेटर, सेंट्रेलाइज्ड लॉण्ड्री मशीन तथा वेंटिलेटर आदि का क्रय किया जायेगा। प्रभारी मंत्री ने कोरोना नियंत्रण की स्थिति पर भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग तथा जनपद अधिकारियों ने बेहतर टीम वर्क किया है सभी कार्य संतोषजन हुए हैं।

खनिज न्यास फाउंडेशन न्यास की बैठक लेते हुए प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज।

व्यापार मण्डल ने ज्वालापुर में पुरानी अनाज मंडी इकाई का किया गया गठन

संवाददाता

हरिद्वार। प्रदेश व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने जिला अध्यक्ष शिव कुमार कश्यप व संरक्षक मण्डल से विचार विमर्श कर ज्वालापुर में पुरानी अनाज मंडी इकाई का गठन किया। जिसमे अध्यक प्रवीन मित्तल,महामंत्री वासु चौहान,कोषाध्यक्ष शानू अंसारी, उपाध्यक्ष दीपक सेठी,सौरभ अग्रवाल ,सचिव सतीश चौहान व उपकोषाध्यक्ष खुशहाल मित्तल को बनाया गया। इकाई के संरक्षक,राममोहन गुप्ता,दीपक गोयल,दीपक अग्रवाल,रामस्वरुप चौहान,दिनेश अग्रवाल,अनिल चौहान व अरविन्द चौहान को बनाया गया।

व्यापारी को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक संजीव चौधरी ने कहा की कोरोना के हालात के बाद व्यापारी पुरी तरह टूट गया है ऐसे मे पुलिस को हेलमेट और अन्य चलाने मे नरमी बरतनी चाहिए और व्यापारी ही नहीं आम आदमी की भी आज हालत खराब है ऐसे मे भुल वश यदि को छोटी गलती कर भी देता है। तो उसको माफ करने का समय है। यदि बार बार वही व्यक्ति गलती करता है तो उसका चालान करना करना चाहिए। उसको आज इंसान अपने आप में बुरी तरह खोया हुआ है।

घर के लालन पालन और सभी जरूरी खर्च तो बने हुए है। परंतु व्यापार या काम पुरी तरह खत्म हो गए है।

चुनाव के बाद उपस्थित सभी सदस्य।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या बिना मास्क के निकलना हुआ वर्जित

संवाददाता हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार सी0 रविशंकर ने पुनः आदेश जारी करते हुए उत्तराखण्ड शासन के उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19 (संशोधित) नियमावली 2020 के द्वारा 19–क के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क) गमछा, रूमाल या दुपट्टाध्स्कार्फ पहनना अनिवार्य होने के नियम को सख्ती से पालन किये जाने के निर्देश दिये है तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए लॉकडाउन के संदर्भ में भारत सरकार तथा राज्य सरकार एवं सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अपराधों के शमन हेतु सक्षम अधिकारिता वाला कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से न्यून न हो, राजस्व अधिकारी जो राजस्व निरीक्षक की पंक्ति से न्यून न हो। विनियम 19–क(1) के प्रथम एवं द्वितीय बार उल्लंघन पर शमन धनराशि 100 रूपये, तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के उल्लंघन पर 200 रूपये।